रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 1995/पौष 13, 1916
No. 6] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 1995/PAUSA 13, 1916

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1994

का. आ. 6(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

फरवरी–मार्च, 1990 में हुए साधारण निर्वाचन में 42-गोरेगांव सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री सुभाष देसाई (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निर्वाचित अभ्यर्थी, कहा गया है) का निर्वाचन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 123(3), धारा 123(3क) और धारा 123(4) के अधीन निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के आधार पर 8-4-1991 को मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था;

निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील फाईल की गई थी और उक्त न्यायालय ने तारीख 2-5-1991 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के तारीख 8-4-91 के आदेश पर रोक आदेश दिया था,

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 31 मार्च, 1994 को उक्त अधिनियम की धारा 123(3क) और धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण किए जाने के लिए श्री सुभाष देसाई के निर्वाचन को अपास्त करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखते हुए अपील खारिज कर दी।

और राष्ट्रपति ने, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण में इस प्रश्न पर कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि हां तो कितनी अवधि के लिए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी है,

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध देखिए) दी है कि ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट आचरण किए जाने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए, यह अवधि 31 मार्च, 1994 से अर्थात् उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से गिनी जाएगी;

अत : मैं शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा यह विनिश्चित करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को तारीख 31 मार्च, 1994 से छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाए।

भारत का राष्ट्रपति

16 दिसम्बर 1994

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1994 का निर्देश मामला सं. 3 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश)

विषय :— महाराष्ट्र विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुभाष देसाई की निरर्हता।

राय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे 1951 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 8क (3) के अधीन राष्ट्रपति के इस निर्देश में इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के एक भूतपूर्व सदस्य, श्री सुभाष देसाई को निरर्हित किया जाना चाहिए और, यदि हां, तो उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन कितनी अवधि के लिए।

2. संक्षेप में बताएं गए सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं :—

(i) श्री सुभाष देसाई फरवरी-मार्च, 1990 में हुए साधारण निर्वाचन में 42—गोरेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनके निर्वाचन को, उनके एक विरोधी अभ्यर्थी, श्री शरद जे. राव ने मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष 1990 की निर्वाचन याचिका सं. 10 में चुनौती दी थी।

(ii) मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 8-4-1991 के आदेश द्वारा श्री देसाई के निर्वाचन को, 1951 के अधिनियम की धारा 123(3), धारा 123(3क) और धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर, शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि श्री देसाई ने निम्नलिखित भ्रष्ट आचरण किए थे :—

(क) हिन्दू होने के आधार पर मतदाताओं से अपने पक्ष में मत देने की अपील की थी :

(ख) धर्म के आधार पर निर्वाचकों के विभिन्न वर्गों में घृणा की भावना पैदा की थी; और

(ग) अर्जीदार (श्री शरद जे. राव) के वैयक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में ऐसे तथ्य के विवरण प्रकाशित किए थे जो मिथ्या थे, जिसके गलत होने का उसे विश्वास था और सत्य होने का विश्वास नहीं था और जिनसे अर्जीदार की निर्वाचन संबंधी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अपमानजनक विवरण, समाचार रूप में मराठी दैनिक "सामना" के जिसके श्री देसाई प्रकाशन और मुद्रक थे, तारीख 15-2-1990 के अंक में प्रकाशित हुए थे, समाचार के सुसंगत भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी पाठ इस प्रकार है :—

"गोरेगांव में मोतीलाल नगर पर सकल्पसिद्धि गणेश मंदिर के महाप्रसाद के समारोह के दौरान, हरे स्कार्फ पहने जनता दल के सदस्यों में बारबार "अल्लाह-हो-अकबर" के नारे लगा कर अव्यवस्था पैदा की और अशोभनीय हरकतें करने लगे . . . , गणेश मंदिर न्यास के स्वयंसेवक, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महाप्रसाद वितरित कर रहे थे। उस समय वहां महिला मोर्चा की महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित थीं। इसी समय, जनता दल के अभ्यर्थी शरद राव अपने अनुयायियों के साथ वहां आए। उनके साथ आए समर्थक अपने सिरों पर हरे रंग का स्कार्फ बांधे हुए थे। ये कार्यकर्ता इस प्रकार आए मानों किसी मेले में नाच रहे हों जबकि गणेश के भक्त उस समय महाप्रसाद समारोह के दौरान भोजन कर रहे थे। इन भक्तों से मुख्य मार्ग खाली कराया गया.....अल्लाह-हो-अकबर का नारा लगाते हुए ये लोग हिन्दुओं के इस सर्वाधिक अनुशासनपूर्ण समारोह में आए, वे दुर्भावनाओं को बढ़ाने में समर्थ थे, वे बार-बार अल्लाह-हो-अकबर चिल्ला रहे थे और भद्दे ढंग से अशोभनीय नाच कर रहे थे और गड़बड़ी फैलाने के पश्चात् चले गए। ऐसा समझा जाता है कि जनता दल के इस गैंग में कुर्ला क्षेत्र से बाहर का एक मुस्लिम गुन्डा भी शामिल था।"

(iii) श्री देसाई ने, मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध जिसमें उनके निर्वाचन को शून्य घोषित किया गया है उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 2-5-1991 के अपने आदेश द्वारा, निपटारे के लिए लंबित अपील पर, उच्च न्यायालय के निर्णय के लागू होने और 1951 के अधिनियम की धारा 8 क के अधीन और कार्यवाहियों पर भी रोक लगा दी।

(iv) उच्चतम न्यायालय ने अपने 31 मार्च, 1994 के अंतिम आदेश द्वारा भी देसाई की अपील को खारिज कर दिया है और श्री देसाई के निर्वाचन को शून्य घोषित करके मुंबई उच्च न्यायालय के विनिश्चय को मान्य ठहराया है। उच्चतम न्या-

न्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय के इन निष्कर्षों से सहमत था कि प्रतिवादी (श्री शरद जे. राव) के व्यक्तगत आचरण के संबंध में मिथ्या कथन को प्रकाशित करने में और ऊपर कोट किए गए समाचार के प्रकाशन से 1951 के अधिनियम की धारा 123 (3क) और धारा 123 (4) के अधीन धर्म के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा की भावना पैदा करने के भ्रष्ट आचरण का आरोप, अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अनुसार, स्थापित हो गया है । इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने इस बात की परीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा कि क्या इस आधार पर अपील करने में कि वह हिन्दू है, धारा 123 (3) के अधीन भ्रष्ट आचरण भी स्थापित हुआ था ।

(v) अतः उच्चतम न्यायालय के तारीख 31-3-1994 के उक्त निर्णय द्वारा श्री सुभाष देसाई को 1951 के अधिनियम की धारा 123 (3क) और धारा 123 (4) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है । श्री देसाई के मामले को सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 8 क (1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किए जाने पर यह मामला उक्त अधिनियम की धारा 8 क (3) के अधीन निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट किया गया है ।

3. आयोग ने अपनी राय बनाने और देने से पूर्व यह विनिश्चय किया कि श्री देसाई को सुनवाई का अवसर दिया जाए । तदनुसार, उसे 23-11-1994 को उसके विद्वान काउंसिल सर्वश्री वासु कृष्णा और रामकृष्णा की मार्फत सुना गया था । उसने 18-11-1994 को अपना लिखित कथन भी फाइल कर दिया है ।

4. श्री देसाई के विद्वान काउंसिल ने अपने मौखिक निवेदनों में कहा कि मामलों को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है और अभिवचन में ऐसी कई कमियों को जिनसे निर्वाचन अर्जी और निर्वाचन अपील के अंतिम परिणाम प्रभावित हुए, उन न्यायालयों के समक्ष पर्याप्त रूप से नहीं बताया गया है । उन्होंने स्वीकार किया कि न्यायालयों के निष्कर्षों की अनदेखी नहीं कर सकते; अपितु यह दर्शाने का प्रयत्न करने के लिए कि श्री देसाई पर आरोपित किए गए भ्रष्ट आचरण गंभीर प्रकृति के नहीं हैं और उन्होंने अपमानजनक समाचार को "सामना" समाचार पत्र में, जिसके वे केवल प्रकाशक और मुद्रक हैं, न कि संपादक, प्रकाशित करने में सद्भावपूर्वक कार्रवाई की है; विद्वान काउंसिल ने, वास्तव में, आयोग के समक्ष मामले को पुनः खोलने के लिए निपुणता से प्रयास किया है ।

5. आयोग का निरंतर यह विचार रहा है कि 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में न्यायालयों के निष्कर्षों को प्रश्नगत या उनकी आलोचना नहीं की जा सकती क्योंकि इसे उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों पर निर्णय देना माना जाएगा । आयोग, न्यायालयों के ऐसे निष्कर्षों से उत्पन्न निरर्हता के प्रश्न पर विचार करते समय, निर्वाचन अर्जियों और निर्वाचन अपीलों में न्यायालयों के निष्कर्षों पर पुनर्विचार करने की शक्तियां अनधिकृत रूप से ग्रहण नहीं कर सकता ।

6. वर्तमान कार्यवाही में, आयोग से केवल दो मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए कहा गया है अर्थात्: क्या श्री देसाई को जिन्हें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी पाया गया है (i) निरर्हित किया जाए ; और (ii) यदि हां तो, कितनी अवधि के लिए । 1951 के अधिनियम की धारा 8 क (1) के परंतुक के अधीन ऐसी अवधि, उस तारीख से जिसको न्यायालय से निष्कर्ष प्रभावी होते हैं, छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । वर्तमान मामले में यह तारीख 31-3-1994 होगी अर्थात् जिस तारीख को उच्चतम न्यायालय ने अंतिम विनिश्चय किया और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के तारीख 8-4-1991 के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाले तारीख 2-5-1991 के अपने पूर्व अंतरिम आदेश को समाप्त किया था ।

7. श्री गडख यशवन्त राव कनक्काराव की निरर्हता से संबंधित 1951 के अधिनियम की धारा 8-क के अधीन इसी प्रकार की कार्यवाही में 1994 का संदर्भ मामला सं. (लो.प्र.अ.) आयोग ने राष्ट्रपति के लिए 16-05-94 की राय में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :

"उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करते समय आयोग का कार्य, कारित भ्रष्ट आचरण की प्रकृति और गंभीरता के संबंध में विचार करने और यह देखने के लिए कि क्या कोई परिशमनकारी या कम करने वाली ऐसी परिस्थिति है जो या तो आत्यंतिक रूप से कोई भी निरर्हता को कतई अधिरोपित न करने या 1951 के अधिनियम की धारा 8(i) के परन्तुक के अधीन यथा अनुज्ञेय अधिकतम छह वर्ष की अवधि से कम अवधि के लिए निरर्हता अधिरोपित करने को न्यायोचित ठहराए, तक ही सीमित हो जाता है ।"

8. वर्तमान कार्यवाही में भी, आयोग को केवल इसी बात पर विचार करना है कि क्या श्री देसाई अपने पक्ष में परिशमनकारी या कम करने वाली ऐसी किसी परिस्थिति को दर्शाने में समक्ष हुए हैं ।

9. श्री देसाई के विद्वान काउंसिल, परिशमनकारी या कम करने वाली ऐसी किसी परिस्थिति को श्री देसाई के पक्ष में दर्शाने में सक्षम नहीं हुए हैं । यह निवेदन कि श्री

देसाई ने अपमानजनक समाचार को प्रकाशित करने में सद्-भावपूर्वक कार्रवाई की है, जिसे उन्होंने परिशमनकारी परि-स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया है, स्वयं उच्चतम न्यायालय ने ही श्री देसाई को भ्रष्ट आचरण कारित करने के लिए दोषी ठहराते हुए, अस्वीकार कर दिया है। विद्वान काउंसिल का दूसरा निवेदन केवल यह था कि श्री देसाई को, वास्तव में, अप्रैल, 1991 से विधानसभा में उनके स्थान से वंचित कर दिया गया था और यदि निरर्हता प्रवर्तित की जाए तो वह न्यूनतम होनी चाहिए।

10. वर्तमान मामले में, श्री देसाई द्वारा कारित भ्रष्ट आचरण बहुत ही गंभीर प्रकृति के है। उन्होंने न केवल मतदाताओं से अपने धर्म के आधार पर अपने पक्ष में मत देने के लिए अपील की, बल्कि नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच, धार्मिक आधार पर घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए सुनियोजित रीति में कार्रवाई भी की है। उन्होंने मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है और उनके धार्मिक आवेश तथा उत्साह को उभारा है जिससे उनका निष्पक्ष निर्णय, उनकी विवेकपूर्ण विचार धारा और सही बोध दूषित हुआ है और वे अभ्यर्थी की गुणागुण से भिन्न विचारधारा के लिए मत देने के लिए प्रेरित किए गए हैं। इस में दो राय नहीं हो सकती कि ऐसे हानिकर आचरण जो कि बहुत ही खतरनाक हैं और हमारे प्रजातंत्र के अस्-तित्व के लिए खतरा हो सकते है, को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोरता से दबाया जाना चाहिए। ऐसे आचरणों में लिप्त व्यक्तियों को विधि के अधीन अनुज्ञेय कठोरतम शास्ति दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ढील का अर्थ ऐसे भ्रष्ट आचरणों से समझौता करना समझा जाएगा जो निर्वाचनों की पवित्रता को दूषित करते हैं।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है और तदनुसार मैं अभि-निर्धारित करता हूं कि श्री सुभाष देसाई को उपरोक्त भ्रष्ट आचरण कारित करने के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी निरर्हता की अवधि उच्चतम न्यायालय के 31-3-1994 के आदेश की तारीख से अधिकतम छह वर्ष होनी चाहिए जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8-क की उपधारा (1) के परन्तुक में उपबंधित है।

12. राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को मैं अपनी उपरोक्त राय के साथ वापस करता हूं।

(टी.एन. शेषन)
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अध्यक्ष,
भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली
तारीख 23 नवंबर, 1994

[फा.सं. 7 (60)/94-वि.-II]
पी.एम. सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1994

S.O. 6(E).—The following Order made by the President is Published for general information :

ORDER

Whereas the election of Shri Subhash Desai (hereinafter referred to as the returned candidate) from 42-Goregoan Assembly Constituency of the general election held in February-March, 1990, was set aside by the High Court of Bombay on 8-4-1991 on the ground of commission by the returned candidate of the corrupt practices under sections 123(3), 123(3)A, and 123(4) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the said Act");

Whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court by an interim order dated 2-5-1991 granted stay of the High Court's order on 8-4-1991;

And whereas the Supreme Court dismissed the appeal on 31st March, 1994 upholding the order of the High Court setting aside the elecion of Shri Subhash Desai for having committed corrupt practices under section 123(3A) and 123(4) of the said Act;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act, on the question whether the returned candidate shoul be disqualified under sub-section (1) of that section and if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for having committed the corrupt practice mentioned above, for a period of six years to be reckoned from the 31st March, 1994, i.e. the date of the order of the Supreme Court;

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act, do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from 31st March, 1994.

16th December, 1994.

President of India

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 3 (RPA) of 1994.

(Reference from the President under Section 8A of the Representation of the People, Act, 1951).

In re: Disqualification of Shri Subhash Desai, former Member of the Maharashtra Legislative Assembly.

OPINION

In this Reference from the President under Section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as '1951-Act'), opinion of the Election Commission has been sought on the question whether Shri Subhash Desai, a former Member of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra, should be disqualified and, if so, for what period under Section 8A(1) of the said Act.

2. The relevant facts, briefly stated, are as follows :—

(i) Shri Subhash Desai was elected to the Maharashtra Legislative Assembly from 42-Goregoan Assembly Constituency at the general election held in February-March 1990. His election was challenged by one of the rival candidates Shri Sharad J. Rao before the Bombay High Court in Election Petition No. 10 of 1990.

(ii) The Bombay High Court by its order dated 08-04-1991 declared the election of Shri Desai as void on the ground of commission of corrupt practices under Sections 123(3), 123(3A), and 123(4) of the 1951-Act. The court held that Shri Desai had committed the corrupt practices of —

(a) making appeal to the voters to vote in his favour, because he was a Hindu ;

(b) creating feeling of hatred between the different classes of electors on gorund of religion ; and

(c) publishing statements of fact, which were false, which he believed to be false and did not believe to be true, in relation to the personal character and conduct of the petitioner (Shri Sharad J. Rao) calculated to prejudice the prospects of the election of the petitioner. The offending statements were published as a news item in the issue dated 15-02-1990 of the Marathi daily 'Samna' of which Shri Desai was the publisher and printer. The relevant part of the news item translated in English was as follows :—

"During the ceremony of Mahaprasad of Sankalpasiddhi Ganesh Temple at Motilal Nagar in Goregaon, the Janata Dal workers wearing green scarf created a mess by shouting 'Allah Ho Akbar' repeatedly and indulged in incident gestures.... ..... The volunteers of Ganesh Mandir Trust, accompanied by the Shiv Sena and B.J.P. workers, were distributing Mahaprasad. There were women workers of the Mahila Front also present at that time. At this moment the Janata Dal candidate Sharad Rao came there with his followers. The supporters accompanying him had tied green scarf around their heads. These workers came as if dancing in a fair, while the devotees of Ganesh were dining during the Mahaprasad ceremony. These devotees were made to vacate highway.

'Allah Ho Akbar' slogan shouting, these people came to this most disciplined function of the Hindus capable of provoking an evil eye, repeatedly shouting 'Allah Ho Akbar' performing indecent dances in an ugly manner and left after creating a pandemonium. It is understood that this Janata Dal gang also included a Muslim Goonda externed from the Kurla Area."

(iii) Shri Desai filed an appeal before the Supreme Court against the aforesaid order of the Bombay High Court declaring his

election as void. By its order dated 02-05-1991, the Supreme Court, pending disposal of the appeal, stayed the operation of the judgment of the High Court and also further proceedings under Section 8A of the 1951-Act.

(iv) By final its order dated 31st March, 1994, the Supreme Court has dismissed the appeal of Shri Desai and has upheld the decision of the Bombay High Court declaring the election of Shri Desai as void. The Supreme Court had agreed with the findings of the High Court that on the materials on record the charge of corrupt practices under Section 123(3A) and 123(4) of the 1951-Act of publishing a false statement of fact regarding personal conduct of the respondent (Shri Sharad J. Rao) and of creating feeling of hatred between different classes of citizens on the ground of religion by the publication of the above quoetd news item has been established. In view of this finding, the Supreme Court did not consider it necessary to examine as to whether corrupt practice under Section 123(3) of making an appeal on the ground that he is Hindu had also been established.

(v) Thus, by the said judgment of the Supreme Court dated 31-03-1994, Shri Subhash Desai has been found guilty of corrupt practices under Section 123(3A) and 123(4) of the 1951-Act. On the case of Shri Desai being referred by the Secretary, Maharashtra Legislative Assembly to the President in terms of Section 8A(1) of the 1951-Act, the matter has been referred to the Election commission for its opinion under Section 8A(3) of the said Act.

3. Before formulating and tendering its opinion, the Commission decided to afford Shri Desai an opportunity of being heard. Accordingly, he was heard on 23-11-1994 through his learned counsel S|Shri Bal Krishna and Ram Krishna. He has also filed his written statement on 18-11-1994.

4. In their oral submissions, the learned counsel for Shri Desai stated that the matters were not properly presented before the High Court and the Supreme Court and several shortcomings in the pleadings which had a material bearing on the final outcome of the election petition and election appeal were not adequately pointed out before those Courts. They conceded that they could not go behind the findings of the courts; yet in an attempt to show that the corrupt practices attributed to Shri Desai were not of a grave nature and that he acted bon-fide in the publication of the offending news item in the newspaper "Samna" of which was only the publisher and printer and not the editor, the learned counsel virtually attempted, in a subtle manner, to reopen the case before the Commission.

5. The Commission has consistently taken the view that the findings of the Courts cannot be questioned or assailed before the Commission in the proceedings under Section 8A of the 1951-Act ment over the findings of the High Courts or the as that would be tantamount to sitting in judg- Apex Court. The Commission cannot arrogate to itself the powers of the review of findings of the Courts in the election petitions and election appeals, while considering the question of disqualification arising out of such findings of the Courts.

6. In the present proceedings, the Commission is called upon to tender its opinion only on two questions, namely, whether Shri Desai who has been found guilty of corrupt practices by the High Court and the Supreme Court (i) should be disqualified, and (ii) if so, for what period. Under the proviso to Section 8A(1) of the 1951-Act, such period cannot exceed six years from the date on which the order of the Court finding him guilty takes effect. In the present case such date will be 31-03-1994, i.e., the date on which the Supreme Court gave its final decision and whereby its earlier interim order dated 02-05-1991 staying the operation of the High Court's order dated 08-04-1991, stood vacated.

7. In a simliar proceeding under Section 8A of the 1951-Act relating to disqualification of Shri Gadakh Yashwant Rao Kankarrao (Reference case No. 1 (RPA) of 1994), the Commission in its opinion dated 16-05-1994 to the President observed :

"While considering the above questions, the Commission's function is limited to look

into the nature and gravity of the corrupt practice committed and whether there is any extenuating and mitigating circumstance which may justify either the imposition of no disqualification at all, as one extreme, or the imposition of disqualification for a period lesser than the maximum period of six years as permissible under the proviso to section 8(1) of 1151-Act."

8. In the present proceedings also, the Commission has thus to see whether Shri Desai has been able to show any extenuating or mitigating circumstance in his favour.

9. The learned counsel for Shri Desai were not able to show any such mitigating or extenuating circumstance in favour of Shri Desai. The submission that Shri Desai acted bonafide in the publication of the offending news item, which they advanced as a mitigating circumstance, has been repelled by the Supreme Court itself while finding Shri Desai guilty of the commission of corrupt practice. The only other submission of the learned Counsel was that Shri Desai had been virtually deprived of his seat in the Legislative Assembly since April 1991 and the disqualification if enforced should be minimum.

10. The corrupt practices committed by Shri Desai in the present case are of very grave nature. He has not merely appealed to the voters to vote in his favour on the ground of his religion but has also acted in a manner calculated to create feelings of hatred between different classes of citizens on religious grounds. He has thereby played upon the religious sentiments of the voters and aroused their religious passions and fervours which blur their dispassionate judgment, rational thinking and right perceptions and they are motivated to vote for a candidate on considerations other than his merit. There cannot be two opinions that such pernicious practices which are highly dangerous and can threaten th every survival of our democracy must be viewed with the utmost concern and put down with a heavy hand. Persons indulging in such nefarious practices must be visited with the severest penalty permissible under the law as any leniency shown to them would mean compromising with these corrupt practices which sully the purity of elections.

11. Having regard to the above, I am of the opinion, and accordingly hold, that Shri Subhash Desai should be disqualified for having committed the corrupt practices mentioned above. Further, his disqualification should run for the maximum period of six years from the date of the order of the Supreme Court, namely, 31-03-1994, as provided under the proviso to sub-section (1) of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951.

12. The reference received from the President is hereby returned with my opinion to the above effect.

T.N. SESHAN,
CHIEF ELECTION COMMISSION OF INDIA
AND CHAIRMAN ELECTION COMMISSION
OF INDIA

NEW DELHI
DATED : 23RD NOVEMBER, 1994.

[No. 7(60)/94-Leg-II]
P.L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995